

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 153 / 2010

संस्थित दि.: 08 / 03 / 2010

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

कोमल प्रसाद पिता मेघराज गौतम उम 24 साल जाति पंवार,

निवासी कंटगी हाल मुकाम रेहंगी स्कूल टोला थाना मलाजखण्ड,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

— :: निर्णय :: —

(दिनांक-26 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-13.11.2009 को करीब 10:45 के लगभग 15 दिन पूर्व ग्राम रेहंगी थाना मलाजखण्ड में 02 नग बैटरा, जिसमें एक बैटरा पावर केयर-1500 जो 12 वोल्ट कीमती करीब 10,000/- है तथा एक माध्यम साईज की बैटरी जो 12 वोल्ट कीमती करीब 4,000/- है उक्त जंगम सम्पत्ति को दुर्विनियोग कर अपने उपयोग के लिये सम्पत्तिवर्तित कर लिया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रधान आरक्षक सुरेश विजयवार को दिनांक-13.11.2009 को हमराह स्टाप के आरक्षक 820 किरण कुमार, 332 महेलसिंह तथा 823 लोवेश्वर के साथ ग्राम भ्रमण जुर्म जयराम की पतासजी हेतु रवाना हुआ था। भ्रमण के दौरान ग्राम पौनी में उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोमल प्रसाद गौतम ग्राम पौनी में दो नग बैटरा बेचने की नियत से खरीदने वालों की तलाश कर रहा है। सूचना पर आरोपी की तलाश की गई तो ढालसिंह वासुदेव की होटल पर आरोपी मिला जिससे पूछताछ की करने पर 15 दिन पहले रेहंगी रोड पर खड़े एक ट्रक

से 12 वोल्ट का बड़ा बैटरी तथा एक ट्रेक्टर से 12 वोल्ट की बैटरी चोरी कर अपने फुफा छतरसिंह क्षीरसागर के घर पाटन में छुपाकर रखा होना बताये जाने पर साक्षियों के समक्ष आरोपी के मेमोरेण्डम कथन तैयार किये गये। आरोपी तथा हमराही बल एवं साक्षी लक्ष्मीकांत व आनंद को साथ लेकर आरोपी द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर दो नग बैटरी जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 3/10 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी ने दिनांक-13.11.2009 को करीब 10:45 के लगभग 15 दिन पूर्व ग्राम रेहंगी थाना मलाजखण्ड में 02 नग बैटरी, जिसमें एक बैटरी पावर केयर-1500 जो 12 वोल्ट कीमती करीब 10,000/- है तथा एक माध्यम साईज की बैटरी जो 12 वोल्ट कीमती करीब 4,000/- है उक्त जंगम सम्पत्ति को दुर्विनियोग कर अपने उपयोग के लिये सम्पत्तिवर्तित कर लिया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(06) अभियोजन साक्षी सुरेश विजयवार (अ.सा. 3) का कहना है कि उसे दिनांक-13.11.2009 को मुखबिर से सूचना मिली की कोमल प्रसाद निवासी ग्राम रेहंगी का दो नग बैटरी ग्राम पौनी में बेचने के लिए घुम रहा है। सूचना पर विश्वास कर वह हमराह बल को साथ लेकर ग्राम पौनी पहुँचा कोमल प्रसाद ढालसिंह की चाय दुकान

पर मिला। सूचना तस्दीक पर कोमल प्रसाद से पूछताछ करने पर आरोपी ने साक्षियों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-01 दिया था जिस पर उसके एवं आरोपी कोमल प्रसाद का निशानी अंगूठा है। आरोपी कोमल प्रसाद ने प्रदर्श पी-01 के मेमोरेण्डम में बताया कि उसने मेमोरेण्डम कथन से लगभग 15 दिन पहले ग्राम रेहंगी रोड पर खड़े एक ट्रक से 12 वोल्ट का बैटरी तथा एक ट्रेक्टर से मध्यम साईज की 12 वोल्ट की बैटरी चोरी करने अपने फूफा छतरलाल क्षीरसागर के घर पाटन में छुपा कर रखने के कथन दिये थे। साक्षियों के समक्ष आरोपी कोमल प्रसाद द्वारा अपने फूफा छतरलाल के घर से दो नग बैटरी निकाल कर देने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 के अनुसार जप्त किया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं आरोपी का अंगूठा निशानी है। बैटरी के संबंध खरीदी बिक्री के संबंध में कोई कागजात हो तो पेश करने के लिये प्रदर्श पी-04 के माध्यम से पूछा गया था जिसमें आरोपी ने कोई कागजात व रसीद अपने पास न होना व्यक्त किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं आरोपी का अंगूठा निशानी है। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी के फूफा छतरलाल को आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी जिसकी कार्बन प्रति चालान के साथ संलग्न है। थाने आकर आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 04/09 धारा 41(1)4 सी.आर.पी.सी. 379 आई.पी.सी. के तहत रोजनामचा सान्हा पर कायमी की जिसकी सत्य प्रतिलिपि चालान के साथ संलग्न है। साक्षी लक्ष्मीकांत, आनन्द वर्मा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(07) किन्तु अभियोजन साक्षी लक्ष्मीकांत (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उसके सामने कोमल प्रसाद से बैटरी चोरी होने के संबंध में इस्तगासा तैयार नहीं किया था एवं पुलिस ने कोमल प्रसाद से मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये थे तथा उसके समक्ष आरोपी से जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(08) अभियोजन साक्षी आनंद (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में

उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी कोमल प्रसाद से बैटरी चोरी होने के संबंध में इस्तगासा तैयार नहीं किया था और न ही उसके समक्ष आरोपी से कोई मेमोरेण्डम कथन लिया था। किन्तु प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(09) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मेमोरेण्डम, जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी लक्ष्मीकांत (अ.सा. 1) एवं आनंद (अ.सा. 2) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षी लक्ष्मीकांत (अ.सा. 1) एवं आनंद (अ.सा. 2) को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देहा का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(11) अभियोजन साक्षी सुरेश विजयवार (अ.सा. 3) का कहना है कि उसे दिनांक-13.11.2009 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोमल प्रसाद निवासी ग्राम रेहंगी का दो नग बैटरा ग्राम पौनी में बेचने के लिए घुम रहा है। सूचना पर विश्वास कर वह हमराह बल को साथ लेकर ग्राम पौनी पहुंचा कोमल प्रसाद ढालसिंह की चाय दुकान पर मिला। सूचना तस्दीक पर कोमल प्रसाद से पूछताछ करने पर आरोपी ने साक्षियों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-01 दिया था जिस पर उसके एवं आरोपी कोमल प्रसाद का निशानी अंगूठा है। आरोपी कोमल प्रसाद ने प्रदर्श पी-01 के मेमोरेण्डम में बताया कि उसने मेमोरेण्डम कथन से लगभग 15 दिन पहले ग्राम रेहंगी रोड पर खड़े एक ट्रक से 12 वोल्ट का बैटरा तथा एक ट्रेक्टर से मध्यम साईज की 12 वोल्ट की बैटरी चोरी करने अपने फूफा छतरलाल क्षीरसागर के घर पाटन में छुपा कर रखने के कथन दिये थे। साक्षियों के समक्ष आरोपी कोमल प्रसाद द्वारा अपने फूफा छतरलाल के घर से दो नग बैटरा निकाल कर देने पर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 के

अनुसार जप्त किया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं आरोपी का अंगूठा निशानी है। बैटरा के संबंध खरीदी बिक्री के संबंध में कोई कागजात हो तो पेश करने के लिये प्रदर्श पी-04 के माध्यम से पूछा गया था जिसमें आरोपी ने कोई कागजात व रसीद अपने पास न होना व्यक्त किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं आरोपी का अंगूठा निशानी है। आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी के फूफा छतरलाल को आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी जिसकी कार्बन प्रति चालान के साथ संलग्न है। थाने आकर आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 04 / 09 धारा 41(1)4 सी.आर.पी.सी 379 आई.पी.सी. के तहत रोजनामचा सान्हा पर कायमी की जिसकी सत्य प्रतिलिपि चालान के साथ संलग्न है। साक्षी लक्ष्मीकांत, आनन्द वर्मा के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

(12) किन्तु अभियोजन साक्षी लक्ष्मीकांत (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उसके सामने कोमल प्रसाद से बैटरी चोरी होने के संबंध में इस्तगासा तैयार नहीं किया था एवं पुलिस ने कोमल प्रसाद से मेमोरेण्डम कथन नहीं लिये थे तथा उसके समक्ष आरोपी से जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्रदर्श पी-01, 02 व 03 की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी। उसने पुलिस वालों के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(13) अभियोजन साक्षी आनंद (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी कोमल प्रसाद से बैटरी चोरी होने के संबंध में इस्तगासा तैयार नहीं किया था और न ही उसके समक्ष आरोपी से कोई मेमोरेण्डम कथन लिया था। किन्तु प्रदर्श पी-01 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार नहीं किया

था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि प्रदर्श पी-01, 02 व 03 की कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी। उसने पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(14) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता सुरेश विजयवार (अ.सा. 3) के कथनों एवं मेमोरेण्डम, जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी लक्ष्मीकांत (अ.सा. 1) एवं आनंद (अ.सा. 2) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा साक्षी लक्ष्मीकांत (अ.सा. 1) एवं आनंद (अ.सा. 2) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने एवं साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से आरोपी ने दिनांक-13.11.2009 को करीब 10:45 के लगभग 15 दिन पूर्व ग्राम रेहंगी थाना मलाजखण्ड में 02 नग बैटरा, जिसमें एक बैटरा पावर केयर-1500 जो 12 वोल्ट कीमती करीब 10,000/- है तथा एक माध्यम साईज की बैटरी जो 12 वोल्ट कीमती करीब 4,000/- है उक्त जंगम सम्पत्ति को दुर्विनियोग कर अपने उपयोग के लिये सम्पत्तिवर्तित कर लिया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(15) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा कि आरोपी कोमल प्रसाद ने दिनांक-13.11.2009 को करीब 10:45 के लगभग 15 दिन पूर्व ग्राम रेहंगी थाना मलाजखण्ड में 02 नग बैटरा, जिसमें एक बैटरा पावर केयर-1500 जो 12 वोल्ट कीमती करीब 10,000/- है तथा एक माध्यम साईज की बैटरी जो 12 वोल्ट कीमती करीब 4,000/- है उक्त जंगम सम्पत्ति को दुर्विनियोग कर अपने उपयोग के लिये सम्पत्तिवर्तित कर लिया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(16) परिणाम स्वरूप आरोपी कोमल प्रसाद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 403 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(17) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(18) प्रकरण में जप्तशुदा 02 नग बैटरा, जिसमें एक बैटरा पावर केयर-1500 जो 12 वोल्ट कीमती करीब 10,000/- है तथा एक माध्यम साईज की बैटरी जो 12

—//7//—

आप.प्रकरण क्र. 153/2010

वोल्ट कीमती करीब 4,000/— है जंगम सम्पत्ति होने से अपील अवधि पश्चात् राजसात किये जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)